

प्रपत्र-34

न-रेयोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट सं० ४ एवं ५
में श्री हरीश चन्द्र पिल्हियाल पुत्र श्री महेशानन्द पिल्हियाल को लौज पर दी गयी वन भूमि का नवीनीकरण
के सम्बन्ध में।

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लौज रेन्ट का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिव्यगत प्रयोजन हेतु वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से नूल्य रूपये (एक हजार)
१३५००/- ₹ प्रति वर्ग मीटर है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 0.0250 है ० वन भूमि का कुल मूल्य रूपये ३३७५००/- ₹
होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लौज रेन्ट प्रतिशत की दर से रूपये होता
है।

	१४०३/१६		१४०३/१६
८०/-	८०/-	८०/-	८०/-
पटवारी	पहसीलदार	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
तहसीलदार		नैनीताल	
रामनगर			

नोट:- उक्त प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के स्थ
संलग्न किया जायेगा !